



# श्रम शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के माध्यम से श्रम शिकायत दर्ज करना



## चरण 1

### शिकायत दर्ज करना

अगर कोई कानूनी या अनुबंधित दायित्व का उल्लंघन होता है, तो निजी या घरेलू श्रमिक क्षेत्र में श्रम संबंध के दोनों पक्ष (मालिक या श्रमिक) बिना मंत्रालय से प्रारंभिक समीक्षा की आवश्यकता के, मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं :

1

श्रम दावे और सलाहकारी कॉल केंद्र  
80084 पर कॉल करें



2

MoHRE वेबसाइट पर जाएँ



3

MoHRE UAE मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग  
करें



उपरोक्त लिखित चैनलों में से किसी एक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करने के बाद, यदि उचित हो, तो दोनों पक्षों को शिकायत संदर्भ संख्या के साथ एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा, जिसमें उन्हें विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का निमंत्रण दिया जाएगा।



**श्रमिकों के लिए जरूरी :**

वर्क परमिट नंबर

पासपोर्ट नंबर

यूनफाइड आई डी नंबर  
(घरेलू श्रमिकों के लिए)



**मालिकों के लिए जरूरी :**

कंपनी कोड

यूनफाइड आई डी नंबर  
(घरेलू कामगार  
प्रतिष्ठानों के लिए)

## दूसरा चरण

### दूरस्थ संचार

शिकायत दर्ज करने के 14 दिनों के भीतर, मंत्रालय के प्रतिनिधि विवाद की जांच करने और निम्नलिखित कारवाही को पूरा करने के लिए संपर्क जायेगा :

#### अंतिम भुगतान :

दावे के मूल्य की जांच करके, दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौता जारी करना।


#### अंतिम निर्णय:

शिकायत पर अंतिम निर्णय जारी करना, बशर्ते कि दावे का मूल्य (50,000) पचास हजार दिरहम से अधिक न हो।

#### अदालत का संदर्भ :

यदि सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हुआ है और दावे का मूल्य (50,000) पचास हजार दिरहम से अधिक है, तो विवाद को अदालत में भेजा जाएगा।

## सामान्य दिशानिर्देश



**शिकायत की वापसी:** शिकायतकर्ता टोल-फ्री नंबर 80084 पर संपर्क करके शिकायत वापस ले सकता है।



**अनुपस्थिति:** यदि शिकायतकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो शिकायत बंद हो सकती है।



**पुनर्निर्धारण:** शिकायत विवरण के अनुसार अपॉइंटमेंट्स को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।



## शिकायत दर्ज करने पर कानूनी नोटिस

विवाद पर मंत्रालय का निर्णय निष्पादन लेख के अधिकार को वहन करेगा। विवाद में शामिल किसी भी पक्ष को निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के (15) पंद्रह व्यावसायिक दिनों के भीतर इस निर्णय के खिलाफ सक्षम अपील न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

वर्क परमिट रद्द करने का अनुरोध अधिसूचना के (60) साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जब तक कि रोजगार संबंध अभी भी जारी न हो। अन्यथा, विवाद में शामिल पक्षों को आगे की सूचना दिए बिना कार्य परमिट रद्द कर दिया जाएगा।



## कोर्ट संदर्भ नोटिस:

यदि विवाद का दावा (50,000) पचास हजार दिरहम से अधिक है और अदालत में भेजा जाता है, तो इसे संदर्भ तिथि से (14) चौदह दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान श्रमिक नए मालिक के दर्ज अस्थायी कार्य अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं, सिवाय उन मामलों में जहां श्रमिक पर काम से भागने का आरोप लगाया गया हो।

सभी मामलों में, यदि दोनों पक्षों के बीच रोजगार संबंध समाप्त हो गया है तो मामले पर अंतिम निर्णय जारी होने के (14) चौदह दिनों के भीतर कार्य अनुमति रद्द करने का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अदालत में संदर्भ की तारीख से छह महीने बाद शामिल पक्षों से परामर्श किए बिना कार्य अनुमति रद्द कर दी जाएगी। हालांकि, यदि कोई कार्य परित्याग शिकायत सिद्ध हो जाती है या यदि श्रमिक ने अपने अनुबंधित दायित्वों को पूरा किए बिना नौकरी छोड़ दी है, तो रद्द करना रोक दिया जाएगा, जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता।

